न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 201 / 2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी

1. अनोपाराम पुत्र रामाराम उम्र 78वर्ष
2. चौखाराम पुत्र रामाराम उम्र 75 वर्ष
3. दौलाराम पुत्र रामाराम उम्र 63 वर्ष
4. नवाराम पुत्र रामाराम उम्र 48 वर्ष
5. भलाराम पुत्र रामाराम उम्र 68 वर्ष
6. भोमाराम पुत्र रामाराम उम्र 52 वर्ष

जातियान भांबी निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. केहराराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 45 वर्ष
2. कल्पना पुत्री दुर्गाराम उम्र 30 वर्ष
3. गुणेशाराम पुत्र केसाराम उम्र 40 वर्ष
4. गेरोदेवी पत्नि दुर्गाराम उम्र 60 वर्ष
5. जीयाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 50 व
6. देवाराम पुत्र तगाराम उम्र 30 वर्ष
7. पूराराम पुत्र केसाराम उम्र 27 वर्ष
8. मीरों पत्नि भीयाराम उम्र 75 वर्ष
9. राणाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 30 वर्ष
10. रावताराम पुत्र तगाराम उम्र 25 वर्ष
11. लादू पत्नि केसाराम उम्र 60 वर्ष
12. लालाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 35 वर्ष
13. देवाराम पुत्र लछमणाराम उम्र 65 वर्ष
14. पूनमाराम पुत्र लछमणाराम उम्र 78 वर्ष
15. भूराराम पुत्र मलाराम उम्र 55 वर्ष
16. उदाराम पुत्र भानाराम उम्र 50 वर्ष
17. हिमताराम पुत्र भानाराम उम्र 45 वर्ष
18. वेहनाराम पुत्र भानाराम उम्र 30 वर्ष
19. मोती पुत्र मलाराम उम्र 58 वर्ष
20. चुनीदेवी पत्नि तगाराम उम्र 55 वर्ष
21. धनाराम पुत्र चुतराराम उम्र 68 वर्ष
22. धाईदेवी पत्नि जीयाराम उम्र 48 वर्ष
23. राणाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 42 वर्ष
24. लालाराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 35 वर्ष

जातियान जाट निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

25. नवलीदेवी पत्नि विरमाराम उम्र 45 वर्ष
26. शेरूदेवी पत्नि कंवराराम उम्र 42 वर्ष
27. [illegible] उम्र 40 वर्ष
28. तुल[illegible] घमंडाराम उम्र 35 वर्ष
29. [illegible] उम्र 50 वर्ष

जातियान [illegible] निवासी जशनाथ नगर कमठाई तह[illegible] सिणधरी जिला बाड़मेर

30. हरखाराम पुत्र केराराम उम्र 38 वर्ष

जाति नाई निवासी बिलासर तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

31. दौलसिंह दत्तकपुत्र पाबूदान उम्र 60 वर्ष
32. शान्तिदेवी पुत्री जयसिंह उम्र 62 वर्ष

जातियान पुरोहित निवासी बिलासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
33. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 24.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 108/77 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 5.7196 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 16.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 86 रकबा 2.2976 हैक्टेयर कुल रकबा 25.2894 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 108/77 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 5.7196 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 16.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 86 रकबा 2.2976 हैक्टेयर कुल रकबा 25.2894 हैक्टेयरभूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:37 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन [illegible] तथ्य [illegible] को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई त[illegible] सिणधरी के खेत खसरा संख्या 108/77 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 [illegible]ा 5.7196 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 16.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 86 रकबा 2.2976 हैक्टेयर कुल रकबा 25.2894 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस

उपखंड अधिकारी
सिणधरी

कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 108/77 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 5.7196 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 16.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 86 रकबा 2.2976 हैक्टेयर कुल रकबा 25.2894 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 108/77 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 5.7196 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 16.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 86 रकबा 2.2976 हैक्टेयर कुल रकबा 25.2894 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बिलासर पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 108/77 रकबा 1.0922 हैक्टेयर, खसरा संख्या 66 रकबा 5.7196 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 16.1800 हैक्टेयर, खसरा संख्या 86 रकबा 2.2976 हैक्टेयर कुल रकबा 25.2894 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerama Ram
Date: 2022.12.31 17:23:37 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 25-11-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी